

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 403 / 2006

संस्थापन दिनांक 21.11.1994

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—सरदारसिंह पुत्र भगवतसिंह गुर्जर, निवासी ग्राम शेखपुरा थाना
महाराजपुरा जिला ग्वालियर.....**फरार**
2—बलवीरसिंह पुत्र सिकंदरसिंह गुर्जर, निवासी बंकेपुरा थाना
गोहद जिला भिण्ड
3—रामपालसिंह पुत्र वकीलसिंह गुर्जर निवासी ग्राम छोंदी थाना
हस्तिनापुर जिला ग्वालियर.....**फरार**

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त सरदारसिंह व रामपालसिंह फरार है। अतः यह निर्णय केवल अभियुक्त बलवीरसिंह के संबंध में किया जा रहा है।
2 उपरोक्त अभियुक्त बलवीरसिंह के विरुद्ध धारा 382 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 06.11.05 को 19:30 बजे सूर्या व एस0आर0एफ0 के बीच का मोड़ मालनपुर जिला भिण्ड पर फरियादी राजेशसिंह का स्कूटर क्रमांक एम0पी0-07-1333 की चोरी कारित की और चोरी के पश्चात निकल भागने के लिए फरियादी राजेश को उपहति कारित की।
3 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.15 को शाम करीब 7 बजे फरियादी राजेशसिंह अपने साथी करन अ0सा01 के साथ स्कूटर क्रमांक एम0पी0-07-1333 से अपनी फौकट्री से शर्मा होटल पर खाना खाने के लिए गये

थे जब खाना खाकर वापिस फैक्ट्री आ रहे थे तब सूर्या व एस.आर.एफ. के बीच मोड़ पर आगे एक लाल रंग की स्लेण्डर मोटरसाइकिल आई जिस पर तीन व्यक्ति बैठे थे उन्होंने उनका स्कूटर रोका तथा एक ने उसे कट्टा दिखाया और स्कूटर की चाबी देने के लिए कहा तो उसने चाबी दे दी फिर वह व्यक्ति स्कूटर लेकर चला तथा उससे थाने पर कागज दिखाने की कहकर स्कूटर पर पीछे बैठने के लिए कहा फिर वह पीछे बैठ गया तो वह व्यक्ति स्कूटर को ग्वालियर की तरफ ले गया तथा साथ में दो मोटरसाइकिल वाले भी चल रहे थे जो बरेठा हनुमानजी रोड से कुछ आगे गिट्टी की रोड पर मुड़ गये तथा मोड़ पर स्कूटर स्लिप हो गया तो वह स्कूटर से गिर गया तब उसे रोड पर पड़ा छोड़कर वह व्यक्ति स्कूटर लेकर चला गया। तत्पश्चात फरियादी राजेशसिंह की रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अप0क्र0 135/05 धारा 382 भा.द.स. के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4 आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

5 प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या घटना दिनांक 06.11.05 को 19:30 बजे सूर्या व एस0आर0एफ0 के बीच का मोड़ मालनपुर जिला भिण्ड पर फरियादी राजेशसिंह का स्कूटर क्रमांक एम0पी0-07-1333 की चोरी कारित की और चोरी के पश्चात निकल भागने के लिए फरियादी राजेश को उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष //

6 साक्षी करन अ0सा01 ने कथन किया है कि दस वर्ष पूर्व वह पुष्पक फैक्ट्री में कार्य करता था तब मैनेजर राजपाल ने कहा था कि खाना ले आओ तब वह और राजेश पण्डित होटल से खाना लेने गये थे और लौटकर सात-सवा सात बजे आ गये थे तब सूर्या फैक्ट्री के आगे तीन लड़के मोटरसाइकिल से आये और बोले कि उन्होंने एक्सीडेंट किया है और थाने चलना है और उनके स्कूटर की चाबी छीन ली स्कूटर का नंबर उसे याद नहीं है। स्कूटर पर दो लोग बैठकर चले गये। वह उन तीनों लड़कों को नहीं जानता और पहचान भी नहीं सकता ना ही उनका हुलिया बता सकता है क्योंकि अंधेरा था। बाद में फैक्ट्री पहुंचा और उसने घटना के बारे में बताया था। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर यह याद होने से इंकार किया है कि स्कूटर का नंबर एम0पी0-07-1333 था और कथन प्र0पी-1 के अनुसार आरोपीगण का हुलिया बताये जाने से भी इंकार किया है।

7 साक्षी राजपाल और राजेश का पता ज्ञात न होने से अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है और विवेचक रबूदी सिंह की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर सका है।

8 अतः घटना के साक्षी करन अ0सा01 ने आरोपी के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दी है और परिस्थितिजन्य तथ्यों के संबंध में भी स्कूटर का

नंबर बताने में असमर्थ रहा है और विवेचक रबूदीसिंह की मृत्यु होने के कारण अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर सका है। अतः आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 06.11.05 को 19:30 बजे सूर्या व एस0आर0एफ0 के बीच का मोड़ मालनपुर जिला भिण्ड पर फरियादी राजेशसिंह का स्कूटर क्रमांक एम0पी0-07-1333 की चोरी कारित की और चोरी के पश्चात निकल भागने के लिए फरियादी राजेश को उपहति कारित की।

9 परिणामतः आरोपी बलवीर को धारा 382 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 आरोपी के जमानत व मुचलके उनमोचित किए जाते हैं।

11 प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
सासकीय / विधिक उपयोग हेतु